

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी, मनातू। 22-12-22 अभिलेख उपस्थापित/राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित है। पुनः जांच प्रतिवेदन की जाय। अभिलेख दिनांक: 02.01.23 को 22/1 अंचल अधिकारी, मनातू। 22-01-23 अभिलेख उपस्थापित/राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित है। पुनः जांच प्रतिवेदन की जाय। अभिलेख दिनांक: 12.01.2023 को 22/1 अंचल अधिकारी, मनातू।	

12-01-23 अभिलेख उपस्थापित / राजस्व उप निरीक्षक का
प्रतिवेदन प्राप्त है। पुनः जांच प्रतिवेदन भी भेजा है।
अभिलेख दिनांक 26.04.2023 को रखें।

अंचल अधिकारी
मनातू।

03.05.2023 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त।

राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदीदार को नोटिस
कर दस्तावेज की मांग की जा सकती है। जमाबंदीदार के नाम से
नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 19.05.2023 को रखें।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

અભિલેખ ઉપસ્થાપિત ।

अभिलेख उपस्थापित। जमाबंदीदार के द्वारा बंदोबस्ती पर्चा केश नं० २२९/२००२-२००३ एवं नक्शा की प्रति जमा की गई है। समर्पित किए गए राजस्व कागजातों की प्रति के अनुसार राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक १५-०७-२३ को रखें।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

14-07-2023

અભિલેખ ઉપસ્થાપિત ।

अन्य कार्य की व्यवस्तता के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं की जा जा सकी। राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। अभिलेख दिनांक 12-10-2023 को रखें।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

18-10-2023

अभिलेख उपस्थापित ।

राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है की पंजी 2 के पृष्ठ सं० ५०/१० पर उक्त बंदोबस्ती वाद के आलोक में जमाबंदी श्री/श्रीमति. निजुल मिर्जा S/o स्व. फ़ै. मिर्जा दर्ज किया गया है। परिवर्तण के प्रधिकार कॉलम में बंदोवस्ती वाद सं० १२९/२००२-०३ आदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर दर्ज है। उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त मामला संदेहास्पद/संदिग्ध जमाबंदी 4(H) के अंतर्गत नहीं आता है।

अतः संबंधित रैयत द्वारा प्रस्तुत दास्तावेज एवं राजस्व उप निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल (आधिकारी,
मनातू।

सेवा के

अंगणवाड़ी कार्यकर्ता

विषय - छात्रों के स्वस्थता में

महोदय, निम्नलिखित के क्रम 88/2016 में मैं आज

हजरत की

आपके छात्रों की स्थिति के बारे में 85 फरवरी - 166

दस्तावेज 4087 के माध्यम से दिखा पाईंगे।

आपकी दिशा में
शुक्र -

जे. नुल निम्न

7763020947

सेवा में,

ऑफिस अधिकारी
मनम, पलायन।

विषय:- ऑफिस/सिंटेसिस जमावदी केस नं० 85/2016-17 का
ऑफिस प्रतिवेदन के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपलाइन मींग रोजी
II के अपलोड पश्चात पाया कि मींग रोजी-II के पेज नं०
40/10 पर जेबल मिश्रा पिता - स्व० देवी मिश्रा के माथ से
मींग कागज है। रोजी-II के अनुसार लमि का विवरण
इस प्रकार है:-

मीजा	जवाता	लॉई	शुल्क	परिवर्तन के लिए प्राधिकार
नौडिहा	55	166	0.40	Settlement case no- 129/2002-03 by order S.D.O Medinipur.

प्रतिवेदित लमि का शकमात रसीद फिनांक - 28/04/12 को
निर्मित है। रसीद संख्या - 4968 305, पार्व 2003-13 तक यम
है। प्रतिवेदित लमि से संबंधित मींगचारी रोजी से
राजस्व देस्तावेज की मींग की गई जो अब तक अप्राप्त
है। मींगचारी रोजी से लमि वंदोवली से संबंधित
राजस्व देस्तावेज वंदोवली फर्मा, राजस्व रसीद का रोजी
लमि वंदोवली से संबंधित नकल की मींग की जा सकी
है, तथा ऑफिस लमि से दम्पल वसूला है संबंध
में रिपोर्ट की मींग की जा सकती है। तदनुसार ऑफिस
कार्रवाई की जा सकती है।

अतः ऑफिस प्रतिवेदन महाराज को निम्नानुसार क्षेत्र
करवाई हेतु सादर समर्पित।

ऑफिस द्वारा वंदोवली फर्मा, राजस्व रसीद एवं
रोजगी नकल प्राप्त हुआ है। ऑफिस मींगचारी
द्वारा प्राप्त राजस्व देस्तावेज एवं रोजी-II के
प्रमाणित कालम के फर्म settlement case no-
129/2002-03 by order S.D.O Medinipur
के ऑफिस पर यह मामला सिंपल।
सिंटेसिस प्रति नहीं होगी है।
18/04/23
R.S.N + 17

विश्वासभाजन
अमित कुं वजक
रा० ३० मि०
हलका - III